

क्रमांक- 3151/15-7-16 1631/1997

प्रेषक,

श्री आर्य समाज,
समुदाय केंद्र,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

राज्य,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
ब्लॉक नंबर 2 तमघास केंद्र,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

विधा: 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 16 अगस्त 1997

विषय:- तेन्दूल आगरा पब्लिक स्कूल आगरा को सी0वी0स्ट0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना ।

संक्षेप

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह बहने का विदेश हुआ है कि तेन्दूल आगरा पब्लिक स्कूल आगरा को सी0वी0स्ट0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विद्यमान होने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्त नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोतापटी का तममा तममा पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से जितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेतक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोलिका फार दि इण्डियन स्कूल सर्वीफिड इन्जासिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति में परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के अधिक एवं अधिकतर कर्मचारियों को राजकीय सेवायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं से कम वेतनमान तथा अन्य सुविधाएँ नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें कायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त

MANAGER
Central Agra Public School
Shahdra Ch. Post Trans Yamuna
Firozabad Road, AGRA

PRINCIPAL
CENTRAL AGRA PUBLIC SCHOOL ...
SHAHADARA CHECK POST, FIROZABAD ROAD
AGRA

171 राज्य सरकार द्वारा तमम तमम पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें तैर्या उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय या रिमाई निर्धारित प्रयत्न/संज्ञिकाओं में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध बंध भी होगा कि तैर्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

111 विद्यालय के लिए भूमि/भवन की निजी स्वामित्व में व्यवस्था करके शासन को अर्पण कराया जायेगा ।

121 विद्यालय वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करे उते लेफ्ट सर्फेसिंग बनाया जायेगा तथा किसी प्रकार का पन्हा/अनुदान दावों व अभिभावकों से नहीं लिया जायेगा ।

3- विद्यालय में इंपीअस योजना लागू करके शासन को सुचित किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैर्या के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तमम यह पाया जाता है कि तैर्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाधत्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गंगुली
तमुक्त सचिव ।

पुस्तक 315/011/15-7-1997 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सहायीय तमुक्त शिक्षा निदेशक आगरा ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक आगरा ।
- 4- निरीक्षक आगरा भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, तेन्डू आगरा पब्लिक स्कूल आगरा ।

अतः है,

अशोक गंगुली
तमुक्त सचिव ।

MANAGER

Central Agra Public School
Sahadra Ch. Post Trans Yamuna
Firozabad Road, AGRA

PRINCIPAL

CENTRAL AGRA PUBLIC SCHOOL
SHAHADARA CHECK POST, FIROZABAD ROAD
AGRA